

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी- रामरतन सौंकरिया  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

12/2024 प्रा.पत्र/2024

18.03.2024

14.02.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि  
नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन निवासी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक  
एफ.बी.ओ. मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक।  
पिनकोड-304502 मोबाईल नं. 9414439594
- 2-मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502
- 3-श्रीमति ममता पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार निवासी नवीन मण्डी थाने की गली मालपुरा जिला  
टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स अयांश इण्डस्ट्रीज एच-138 रीको इण्ड. एरिया मालपुरा जिला  
टोंक राज.। पिनकोड-304502
- 4-मैसर्स अयांश इण्डस्ट्रीज एच-138 रीको इण्ड. एरिया मालपुरा जिला टोंक राज.।  
पिनकोड-304502

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की  
उप धारा (iv), (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री प्रमोद शर्मा उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 14/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 30.10.2023 को समय सायं 04:45 पी.एम. पर मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष  
मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत  
से श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग  
कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित  
मिला, श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय  
लिया तथा पूछने पर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान  
का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र  
दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम  
जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले के साथ-साथ दुकान में  
प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 38 मूल पौली पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 ग्राम



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

पैक लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 01 एवं पैकिंग की दिनांक 28.08.2023 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 500-500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) 500-500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 1-1 पैकेट रखकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3903 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3903 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला ने बतौर वारन्टी मैसर्स अयांश इण्डस्ट्रीज एच-138 रीको इण्ड. एरिया मालपुरा जिला टॉक का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 41 दिनांक 28.10.2023 प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1098 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/4460/एक्ट/2023/4592 दिनांक 10.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोक

व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.9.3.2 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (अयांश आर.आर. ब्राण्ड) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक आज दिनांक 14/12/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सािकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0